न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

रसद प्रा. पत्र सं. 63/2019
सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 12/19

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन प्रवर्तन अधिकारी, नसीराबाद। ....प्रार्थी

बनाम

1. श्री बृजेश यादव पुत्र श्री रामनारायण यादव निवासी –3234, सुतारखाना मोहल्ला,
2. श्री सुरेश जाट पुत्र श्री छगना जाट ग्राम–देराठू, नसीराबाद सदर
3. श्री हनीफ पुत्र रफीक खान, 334/31 पटेल नगर, तोपदड़ा, अजमेर।
4. श्रीमती फेमिदा बानू पत्नी श्री यूसूफ खान, 334/31 पटेल नगर, तोपदड़ा, अजमेर।

............अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

श्रीमति रेणुका चतुर्वेदी प्रवर्तन अधिकारी पेरोकार सरकार
श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए. आवश्यक वस्तु अधिनियम
आदेश

दिनांक– 06.08.2019

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि अवैध रूप से वाहनों में गैस रिफलिंग की शिकायत पर दिनांक 04.07.2019 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (प्रथम) के नेतृत्व में प्रार्थी, अब्दुल सादिक, प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा न्यू घूमर रेस्टोरेन्ट, कोटा रोड, देराठू चौराहा नसीराबाद पहुँच कर मौके पर जांच किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 को रेस्टोरेन्ट के सटाकर बने एक ओर से खुले कमरे में एक मारूती वेन रंग सफेद रजिस्ट्रेशन संख्या RJ01 UA 6330 में घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर को उल्टा रखकर गैस भरने की जुगाडनुमा मशीन को इलेक्ट्रिक मशीन से जोडकर वाहन में गैस भरते पाया गया। पूछताछ में अप्रार्थी संख्या 01 श्री बृजेश यादव द्वारा 700/– रू प्रति घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डर की दर से अवैध गैस रिफलिंग करने का अवैध व्यवसाय किया जाना जाहिर किया। जांच दौरान तीन अतिरिक्त घरेलू एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर मौके पर भण्डारित पाये गये। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त स्थान अप्रार्थी संख्या 02 से किराये पर लिया जाना जाहिर हुआ। अप्रार्थिया संख्या 04 श्रीमति फेमिदा बानू पत्नी यूसूफ खान वाहन संख्या RJ01 UA 6330 की मालिक है, जिसे गैस भराने के लिए उसका रिश्तेदार अप्रार्थी संख्या 03 हनीफ पुत्र रफीकखान लेकर आया था। घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में उपयोग एल. पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (सी), 4(1)a 6 का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौंके पर पाये गये 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक रिफिलिंग मशीन को राजहित में कब्जेराज लेकर श्री मोहम्मद फिरोज पुत्र श्री अमीन खान, कार्मिक मलका गैस एजेन्सी, नसीराबाद को सुपुर्द किये गये तथा वाहन संख्या RJ01 UA 6330 को कब्जेराज किया जाकर पुलिस थाना नसीराबाद सदर को सुपुर्द किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत कब्जे राज लिये गये 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक रिफिलिंग मशीन तथा जब्त एक मारूति वैन संख्या RJ01 UA 6330 को राजसात करने के आदेश हेतु प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02 स्वय उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 02, 03 जरिये अभिभाषक उपस्थित आये,

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थिया / अप्रार्थीया संख्या 04 फेमिदा बानू की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451 द0प्र0संहिता वास्ते वाहन मारूति वैन संख्या RJ01 UA 6330 को सुपुर्दगी में दिए जाने का प्रस्तुत किया गया जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर जिला रसद अधिकारी से टिप्पणी तलब की गई। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

पेरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अवैध गैस रिफलिंग की सूचना पर दिनांक 04.07.2019 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (प्रथम) के नेतृत्व में प्रार्थी, एवं श्री अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा मौके पर पहुँच कर जांच किये जाने पर मौके पर अप्रार्थी संख्या 01 को गैस भरने की जुगाडनुमा मशीन को इलेक्ट्रिक मशीन से जोडकर घरेलू गैस सिलेण्डर से मारूती वैन संख्या RJ01 UA 6330 में अवैध रिफिलिंग करता पाया गया। घरेलु गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में उपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 की धारा 3 (1) (सी) 4(1)a 6 का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे राज लिये गये 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक रिफिलिंग मशीन तथा मारूति वैन संख्या RJ01 UA 6330 को राजसात करने के आदेश प्रदान करावें।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 04 ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को स्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थिया की मारूती वैन, अवैध गैस रिफलिंग में जब्त की गई है। प्रार्थिया फेमिदा बानो पत्नी युसूफ खान जाति मुसलमान निवासी 354/31, पटेल नगर, गुजराती ईटों के भट्टे के पीछे, तोपदडा, जिला अजमेर, ही मारूती वैन RJ01 UA 6330 की पंजीकृत स्वामिनी है। जप्त वाहन प्रार्थिया के परिवार के रोजमर्रा के काम आने वाला एक मात्र साधन है जिसके जब्त किये जाने से प्रार्थिया को काफी आर्थिक हानि एवं असुविधा का सामना करना पड रहा है। अतः प्रार्थिया की मारूती वैन RJ01 UA 6330 को सुपुर्दगीनामा पर छोडे जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी संख्या 01, घरेलू गैस सिलेण्डर से मारूती वैन RJ01 UA 6330 में अवैध रिफलिंग करते पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रिफिलिंग में दुरूपयोग एलपीजी आदेश 2000 की धारा 3 (1) (c) 4(1)a 6 का उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। लिहाजा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जप्त समस्त सामग्री 04 घरेलू गैस सिलेण्डर, एक रिफिलिंग मशीन को राजसात किया जाता है। चूंकि जप्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें। घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रिफलिंग के फलस्वरूप आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के प्रावधानों के तहत वाहन मारूती वैन RJ01 UA 6330 पर रूपये 50,000/- (अक्षरे पचास हजार मात्र) की जुर्माना राशि कायम की जाती है। आरोपित शास्ति राशि जमा कराने पर वाहन मारूती वैन RJ01 UA 6330 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच राशि जमा होने पर उपरोक्त वाहन के किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो बाद स्वामित्व सन्तुष्टी के सम्बन्धित को सोंप दिया जावे। प्रार्थना पत्र (सुपुर्दगीनामा) दर्ज फैसल हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 06.08.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय जिला कलक्टर अजमेर

R.V.Sharma

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner